EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 730—731

Dated : 21-06-2014

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2014

सा.का.नि. 137.—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (ञ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी हुई वस्तुएं) नियम, 2011 के, नियम 6 के उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) साबुन, शैम्पू, दंत मंजन तथा अन्य शृंगार एवं प्रसाधन सामग्रियों के प्रत्येक पैकेज पर उसके मुख्य प्रदर्शन पैनल के सबसे ऊपर मांसाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए लाल या भूरी यथास्थिति बिंदी और शाकाहारी उद्भव के उत्पादों के लिए हरी बिंदी होगी ।"

[फा. सं. डब्ल्यू एम-10(38)/2013]

बी. एन. दीक्षित, निदेशक (विधिक माप विज्ञान)

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359(अ), तारीख 6 जून, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2014

G.S.R. 137.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called as Legal Metrology (Packaged Commodities) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from 1st July, 2014.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules 2011, in rule 6, after sub-rule (7), the following shall be inserted, namely :—

"(8) Every package containing soap, shampoos, tooth pastes and other cosmetics and toiletries shall bear at the top of its principal display panel a red or as the case may be, brown dot for products of non-vegetarian origin and a green dot products of vegetarian origin.".

[F. No. WM-10(38)/2013]

B. N. DIXIT, Director (Legal Metrology)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 202(E), dated the 7th March, 2011 and last amended vide notification number G.S.R. 359(E), dated the 6th June, 2013.

IndiaCode

MGIPRRND—2551 CAF&PD/2014—100 Copies.